राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1259

04 मई, 2016 को उत्तर के लिए

तेलंगाना के खम्मम जिले में इस्पात संयंत्र

1259. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 तेलंगाना के खम्मम जिले में सेल द्वारा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस्पात संयंत्र की स्थापना में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) संसद द्वारा पारित अधिनियम में इस संबंध में किए गए वादे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) से (घ) : आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची की शर्तों के अनुसार सेल द्वारा निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक 2.6.2014 से छह माह के भीतर तेलंगाना के खम्मम जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना करने की व्यवहार्यता जांच की जानी थी। सेल द्वारा सरकार को व्यवहार्यता रिपोर्ट दिनांक 2.12.2014 को प्रस्तुत कर दी गई थी। इस प्रकार सेल ने आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार आबंटित कार्य को पूरा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार दी हुई आकृति के साथ इस्पात संयंत्र की स्थापना की व्यवहार्यता को प्रथम दृष्ट या वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। इसके मद्देनजर परियोजना को वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए अर्थोपाय सुझाने हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकार, सेल, आरआईएनएल और एनएमडीसी से प्रतिनिधियों का एक टास्क फोर्स दिनांक 6.2.2015 को गठित किया गया था।

***